

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

हरिलाल विपक्षी मुस्मात हगारी
 मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 277/11 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>8/10/25 2-18-24 वाद/जिरे/अग्रिम कार्यवाही वकूलम्य वादी/प्रतिवादी उप... के लिये मौका चाहते है। अतः... अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 8/11/25 कोपेश हो। (SDO) मावली</p>	
<p>18/11/25 सहायवादी जिरे/अग्रिम कार्यवाही वकूलम्य वादी/प्रतिवादी उप... के लिये मौका चाहते है। अतः... अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 18/11/25 कोपेश हो। (SDO) मावली</p>	
<p>22/12/25 सहायवादी जिरे/अग्रिम कार्यवाही वकूलम्य वादी/प्रतिवादी उप... के लिये मौका चाहते है। अतः... अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 15/11/26 कोपेश हो। (SDO) मावली</p>	
<p>16/1/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान चम्। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 20/2/26 को पेश हो। 310</p>	
<p>20/2/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान चम्। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 27/2/26 को पेश हो। 310</p>	

27/2/21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पत्रकारान उप.।
सुपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज उपकारा/
अभ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 27/3/21 को पेश हो।

B1°
5

27/3/26 पत्रावली पेश हुई। अधि. उभय
पत्रकारान उप.। साक्ष्यवादी निरह का
शौका जाहा। आगामी पेशी पर
साक्ष्यवादी निरह नही करने पर
आग्रिम कार्यवाही अमल में लार्
जावेगी। पत्रावली वाकते साक्ष्यवादी
निरह दिनांक 04/05/26 को पेश हो।

04/05/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय
स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण
मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे
दिलवाई गई। समय साँय 6:00 PM हो चुके हैं।
प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण साक्ष्य वादी में
नियत हैं। वादीगण को साक्ष्य हेतु लगभग
6 वर्ष से अधिक का समय दिया जा चुका है।
वादीगण द्वारा अब तक साक्ष्य नहीं करवाये गये।
आज भी स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट जाडिर होता है कि
वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं
मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। अतः
अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित
रहने पर वादीगण का वाद अदम ठाम्ठी अदम
फैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फँसल
कुमार ठोकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय (सुनाया गया)।



सहायक कलेक्टर (SDO)
भावली, जिला उदयपुर